संख्या-29/2019/437ई-2/तेरह-2019-89/2016

प्रेषक

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 01 मार्च, 2019

विषय:-जनपद गौतमबुद्ध् नगर में बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृ ष्ठांकित्अपने पत्र सं0-138/1/आबकारी/ एफ0एल0-7 बार/ गौतमबुद्धनगर, दि0 28 अक्टूबर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2018 द्वारा उपलब्ध कराई गई जिला बार समिति की बैठक दिनांक 17-10-2018 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-218/दस-लाइसेंस-64/एफ0एल0-6,7/वल्चरकल्चर पब हाउस/बार अनु0 /नोएडा, दिनांक 20 फरवरी, 2019 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त मैसर्स वल्चरकल्चर पब हाउस एल0एल0पी0 पंजीकृत कार्यालय डब्लू-126ए ग्रेटर कैलाश-1 दक्षिण, दिल्ली द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट "टिटोज" 311, द्वितीय तल गार्डन गलेरिया मॉल, सेक्टर-38ए नोएडा गौतमबुद्धनगर को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन देने की स्वीकृति एतद्द्वारा इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत होटल/रेस्टोरेन्ट्स में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था होने, शान्ति व्यवस्था के दृष्टि से पर्याप्त सुरक्षाकर्मी होने तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में दी गई शर्तों को पूर्ण होने के पश्चात् ही लाइसेंस निर्गत किये जाएं।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-29/2019/437 ई-2/तेरह-2019तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-218/दस-लाइसेंस-64/एफ0एल0-6,7/वल्चरकल्चर पब हाउस/बार अनु0 /नोएडा, दिनांक 20 फरवरी, 2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।